कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांकः 2017/bjr/bijnor/प–4/cfo

दिनांकः जुलाई 31 ,2017

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
कृते जिला मजिस्ट्रेट
बिजनौर ।

विषयः मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 495/1 द्वितीय तल आरपीजी टावर, यूनिवर्सिटी रोड , मंगल पाण्डेनगर मेरठ को ग्राम खोडाहेडी तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर के गाटा स0 181व खसरा न0 647 पैट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट)लगाने हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्राकः 1431/जि0पू0अ0–एन0ओ0सी0/2017 दिनांक 31–05–2017 के अनुपालन में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित पत्र के अनुपालन एवं मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 495/1 द्वितीय तल आरपीजी टावर, यूनिवर्सिटी रोड , मंगल पाण्डेनगर मेरठ के द्वारा प्रस्तावित स्थल के मानचित्र के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया। श्री प्रमोद कुमार ,प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर की निरीक्षण आँख्या दिनांक 28 07 2017 के अनुसार प्रस्तावित स्थल बिजनौर से हरिद्वार जाने वाली 24 मीटर से अधिक चौडे रोड पर स्थित है जँहा [illegible] सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते है एवं प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नही [illegible] प्रस्तावित स्थल उपयुक्त है ।

सम्बन्धित को निर्देशित किया कि ––

1– समस्त निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार एवं ओ0आई0एस0डी0–225 व पैट्रोलियम एक्ट 1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स 2002 तथा समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेगें।

2– धुम्रपान निषेध का पालन करेगें तथा इस आश्य की पटिटकाऐं जगह–जगह लगाना सुनिश्चित करेगें।

3– समस्त विद्युत वायरिगं एवं फिटिंग्स भारतीय मानक 2148 के अनुसार फ्लेमप्रूफ कराना सुनिश्चित करेगें एव फ्लेमप्रूफ लाइटों का ही प्रयोग करेंगें ।

4– समस्त दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले लगवाना सुनिश्चित करेंगें।

5– अण्डर ग्राउंण्ड डीजल/पैट्रोल स्टोरेज टैंक की अर्थिग मानक के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेगें।

6– प्रस्तावित रिलेट आउटलेट पर महत्वपूर्ण/आपातकालीन सेवा नम्बर एक बोर्ड पर अंकित कराना सुनिश्चित करेंगें ।

7– रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित स्थल पर निम्न अग्निशामक व्यवस्था का प्रबन्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

1–ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 के0जी0 – 10 अदद ।
2–सैड फायर बकेट्स –––––––– 10 अदद।
3–फोम ट्राली क्षमता 45 के0जी0––– 01 अदद ।
4–बालू 100 घनफिट का अतिरिक्त भडारण ।
5–धुम्रपान निषेध का बोर्ड ।
6–फायर सर्विस के नम्बर 101 , 265443 व 9454418553 का बोर्ड उपलब्ध है ।

8– उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रति वर्ष अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें,

9– प्रस्तावित स्थल के आगे से निकली विधुत लाईन पर फट्टिया लगवाये तथा विधुत लाईन की इलेक्ट्रिक पोल लगवाकर गार्डिग कराना सुनिश्चित करेगे ।

10– प्रस्तावित स्थल के आगे खडें पेडों को वनविभाग से अनुमति लेकर कटवाना सुनिश्चित करेगे ।

संजय नागपाल
Sanjay Nagpal
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Office - Meerut

11— प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व [illegible] व्यवस्था का सत्यापन अग्निशमन विभाग से कराना सुनिश्चित करेंगे । तभी अनुमोदन अन्तिम माना [illegible] निर्देशों का पालन न करने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

अतः उपरोक्त अनुबन्धों / व्यवस्थाओ को पूर्ण कराने की शर्त पर मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 ·495 / 1 द्वितीय तल आरपीजी टावर यूनिवर्सिटी रोड मंगल पाण्डेनगर मेरठ को ग्राम खोडाहेडी तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर के गाटा स0 181व खसरा न0 647 में पैट्रोल / डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट [illegible] ऑख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है ।

संलग्न: अनुमोदित मानचित्र

(संतोष कुमार राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2— हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 495 / 1 द्वितीय तल , आरपीजी टावर , यूनिवर्सिटी रोड, मंगल पाण्डेनगर मेरठ ग्राम रामपुर बकली तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो आपके विरूद वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी ।

3— प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर, को उनकी निरीक्षण ऑख्या दिनांक 28-07-2017 के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली खोलकर उस को सुरक्षित रखेंगे तथा समय—संमय पर आकस्मिक निरीक्षण करके यथा स्थिति का आंकलन करते रहेगे आकस्मिक निरीक्षण [illegible] यदि किसी प्रकार की अनियमितता मिलती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही [illegible] यथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे ।

(संतोष कुमार राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर

1-2-2018

संजय नागपाल
Sanjay Nagpal
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Office - Meerut